न्यायालय श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय देवसर

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

निरज गुप्ता पिता मुन्नीलाल गुप्ता उम्र 31 वर्ष पेशा वेरोजगारी निवासी ग्राम बरगवां पोस्ट इ़गा बरगवां थाना बरगवां जिला सिंगरौली (म0प्र0)

------ परिवादी

बनाम

1. अजीम प्रेम जी पिता मो0 हसेम प्रेम जी मुख्य प्रबन्धक बीप्रो कम्पनी इण्डीया लि0 बीजीनीश आफिस प्लाट नम्बर 8, ब्लाक ड़ी0एम0, सेक्टर 5 साल्ट लेग सिटी कोलकाता।
2. सुरेश महतो पिता तालो महतो पता चार्गो, थाना बिरनी, जिला गिरिडीह झारखण्ड मो0 नम्बर 09716218796।
3. आलोक कुमार सांडिल्या पिता नामालुम एक्सीस बैंक एकाउन्ट नं0 911010036113712 ब्रांच सिटी सेन्टर धनवाद झारखण्ड एच0आर0 बीप्रो कम्पनी इण्डीया लि0 कोलकाता प्लाट नम्बर 8, ब्लाक ड़ी0एम0, सेक्टर 5 साल्ट लेग सिटी कोलकाता।
4. मृदुल घोष पिता नामलुम आई0सी0आई0सी0आई बैंक एकाउन्ट नम्बर 082401500489 पता रामाकान्त मिस्त्री मेन ग्राउण्ड लोर मुर्चीपरा स्कोयर बिल्ड़िग कोलकाता
5. सौरभ आचार्या पिता नामालुम पदस्थ बीप्रो कम्पनी इण्डीया लि0 कम्पलेन अटेन्डर मो0 नम्बर 09051923234 ------ आरोपीगण

परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 204, 311, 419, 420, 467, 468, 34 आई0पी0सी0

घटना स्थल बरगवां जिला सिंगरौली म0प्र0

घटना दिनांक 15/02/2013 से
अब तक
प्रकरण क0 621/2016 पंजीयन नं0 S-S16
पंजीकृत परिवाद धारा 120 बी0,
420, 465 भा0दं0वि0
न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम
श्रेणी देवसर श्रीमान् आर0पी0सिंह
जी के न्यायालय मे विचाराधीन है
पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 399,
400 सी0आर0पी0सी0

मान्यवर,

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 15 फरवरी 2013 को परिवादी के मोबाइल पर सुरेश महतो द्वारा बिप्रो कम्पनी मे स्थाई नौकरी के लिये बताया गया एवं 20000/- हजार रु0 सुरक्षा निधी मांगी गई सुरेश महतो आरोपी क0 2 है पहले उसके द्वारा आरोपी क0 4 का आई0सी0आई0सी0आई बैंक एकाउन्ट नम्बर 082401500489 शाखा कोलकाता मे परिवादी को पैसा जमा करने के लिये कहा गया बाद मे दुवारा आरोपी क0 3 के एक्सीस बैंक एकाउन्ट नं0 911010036113712 मे परिवादी को पैसा जमा करने के लिये कहा गया परिवादी द्वारा आरोपी क0 3 आलोक कुमार सांडिल्या के बैंक एकाउन्ट मे पैसा डाल दिया गया जिससे परिवादी को बीप्रो कम्पनी इण्डीया लि0 के इमेल आईडी से ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि आरोपी क0 3 व 4 दोनो आरोपी क0 1 से मिले हुये है और परिचित है, आरोपी क0 3 व 4 बीप्रो कम्पनी के जिम्मेदार व्यक्ति है तभी तो बीप्रो कम्पनी के ईमेल आइडी से परिवादी को ज्वाइनिंग लेटर दिया, अतः बीप्रो कम्पनी आरोनी क0 1 अजीम प्रेम जी की है परिवादी के ज्वाइनिंग के लिऐ उनकी कम्पनी की ईमेल आईडी उनके कम्पनी में इस्तेमाल हुई है। अतः उक्त घटना मे आरोपी क0 1 भी समान अपराधी है आरोपी क0 5 बीप्रो कम्पनी का कम्पलेन अटेन्डर है जिसने ये बताया की आरोपी

क्र0 3 व 4 बीप्रो कम्पनी मे रहते हुये 6 से 7 हजार बेराजगारो का पैसा लेकर भविष्य बरवाद किये है एवं आरोपी क्र0 5 ने इमेल आईडी एवं साक्ष्य मिटाया है, अतः सभी समान आरोपी है, अतः 5 आरोपी समान आरोपी है।

उक्त पुनिरीक्षण आवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय देवसर के आदेश दिनांक 05/5/2016 से असंतुष्ट हो कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है

पुनरीक्षक के आधार निम्न हैः-

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय परिवादी द्वारा आरोपी क्र0 1 से 5 के विरूद्ध साक्ष्य मिटाने, ठगी करने, प्रतिरोपण द्वारा छल करने, छल करना, और सम्पत्ति परीदत्त करने के लिये बेइमानी से उत्प्रेरीत करना मुल्य वान प्रति रुप अथवा किसी दस्तावेज को जिसका धन दिये जाने को अभी स्वीकृत किये जाने वाला व छल के प्रयोजन से कुट रचना करने के भा0द0वि0 की धारा 204, 311, 419, 420, 467, 468, 34 आई0पी0सी के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय मे परिवाद दायर किया गया था, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05/05/2016 को मात्र 2 आरोपी, आरोपी क्र0 2 सुरेश महतो, एवं आरोपी क्र03 आलोक कुमार सांडिल्या के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 120बी, 420, 465 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया जिसका प्रकरण क्र0 621/2016 है, अन्य 3 आरोपीयों आरोपी क्र0 1 अजीम प्रेम जी, आरोपी क्र0 4 मृदुल घोष एवं आरोपी क्र0 5 सौरभ आचार्या के विरूद्ध किसी भी प्रकार का प्रकरण न पंजीबद्ध किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि पूर्ण आदेश किया गया ऐसी दशा मे आरोपी क्र0 1 व 4,5 को अपराध कारित करने के लिये अपराध को बढ़ावा दिया जाना प्रतित होता है अतः उक्त आरोपीयों के विरूद्ध भी चाहे व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत धारोओं मे ही क्यो न हो अपराध पंजीबद्ध ~~की~~ किया जाना ही न्याय उचित होगा।

2. यह कि आरोपी क्र0 1 भारत देश के सर्व श्रेष्ठ उद्योगपतीयो मे से एक है तथा उनके बीप्रो कम्पनी के कर्मचारी द्वारा ठगी व छल करने मे 6 से 7 हजार वेरोजगारो के साथ ठगी करना इमेल आइडी व फोन

शिकायत करने पर किसी भी प्रकार की सुनवाई न करना तथा कोई जवाव न देना यह स्पष्ट करता है कि आरोपी क0 1 द्वारा अपने बीप्रो कम्पनी मे नौकरी के नाम से अपने कर्मचारीयो द्वारा छल कर पैसे बसुलवाया जा रहा है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने परिवादी के निवेदन को न मानते हुये मात्र दो आरोपीयों आरोपी क0 2 व 3 के विरूद्ध परिवाद पंजीकृत करके त्रुटि पूर्ण आदेश किया है, अतः 5 आरोपीयों के विरूद्ध परिवाद पंजीकृत करना न्यायहित होगा।

3. यह कि उक्त आरोपीयों के विरूद्ध परिवाद पंजीकृत नही किया तो देश के अन्य कई नौजवान बीप्रो कम्पनी के नाम से ठगी का सीकार होगे एव बेरोजगारी मे गलत कदम उठाने मे नौजवान मजबूर हो जायेगे, परिवादी द्वारा उक्त निवेदन भी अधिनस्थ न्यायालय से किया गया किन्तु परिवादी के निवेदन को न मानते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र दो ही आरोपीयो के विरूद्ध परिवाद पंजीबद्ध किया गया अतः 5 आरोपीयों के विरूद्ध परिवाद पंजीबद्ध किया जाना न्यायहित मे होगा।

4. यह कि परिवाद पत्र के साथ परिवादी द्वारा बीप्रो कम्पनी के आइडी से परिवादी को मिली ज्वाइनिंग की कापी पेश की गई किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसे नजर अंदाज करते हुये आरोपी क0 1 के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध नही किया गया अतः आरोपी क0 1 के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना नितान्त आवश्यक है क्यो कि वह बीप्रो कम्पनी का प्रमुख व्यक्ति है और उन्ही की कम्पनी है और घटना की मुल रुप से बीप्रो कम्पनी द्वारा कारीत की गई है।

5. यह कि बीप्रो कम्पनी जिस समय परिवादी को जिस इमेल आइडी से नौकरी हेतु ज्वाइनिंग लेटर दिया था उस समय बीप्रो कम्पनी द्वारा अपने कम्पनी के कार्य मे उसी इमेल आइडी का उपयोग बराबर किया जाता रहा जिससे पूर्ण रुप से यह स्पष्ट है कि वह इमेल आइडी बीप्रो कम्पनी ब्रान्च कलकत्ता का ही है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बीप्रो कम्पनी प्रमुख अजीम प्रेम जी के विरूद्ध अपराध का संज्ञान न लेकर न्यायिक भूल किया गया है।

6. यह कि परिवादी/आवेदक एक बेरोजगार विलांग व्यक्ति है व बीप्रो कम्पनी के झासे मे आकर पहले प्राइवेट नौकरी भी करता था व भी

छोड़ दिया परिवादी/आवेदक यह चाहता है कि आरोपीयों को उनके किये का ~~संक्षिप्त~~ उचित दण्ड मिले ओर जिस तरह से परिवादी के 20000/- रु0 आरोपीयोंगण के द्वारा ठगी किये गये ऐसा अन्य वेरोजगारोंओं हो इसमे पाँचो आरोपीयो के विरूद्ध पंकरण पंजीबद्ध किया जाना आवश्यक व न्यायहित मे है, अतः तीन छूटे हुये आरोपीयों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना न्यायहित मे होगा, माननीय न्यायालय द्वारा परिवाद पत्र मे बचे हुये तीन आरापीयों आरोपी क्र0 1 व 4, 5 के विरूद्ध भा0द0वि0 के जिन धारोयों मे उचित समझा जाय प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना न्यायहित मे होगा।

7. यह कि उक्त पुनरीक्षण आवेदन माननीय न्यायालय के श्रवण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है एवं आवेदन पत्र के साथ उचित मूल्य का मुद्रान्क टिकट चस्पा है।

अस्तु पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि परिवाद पत्र मे बचे हुये तीनों आरोपीयों के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो संज्ञान नही लिया गया है, संज्ञान लेने की महान दया की जाय।

N.K. Gupta

दिनांक / /2016 — **प्रार्थी/परिवादी**

द्वारा अधिवक्ता — नीरज गुप्ता पिता मुन्नीलाल गुप्ता

बृजेश कुमार चतुर्वेदी — ग्राम व थाना बरगवां जिला

एडवोकेट — सिंगरौली म0प्र0

सत्यापन

मै नीरज गुप्ता पिता मुन्नीलाल गुप्ता ग्राम व थाना बरगवां जिला सिंगरौली म0प्र0 उम्र 31 वर्ष सत्य-सत्य कथन करता हूँ कि मामले का संक्षिप्त विवरण एवं पुनरीक्षक आवेदन पैरा क्र0 1 ता 7 मेरे द्वारा पढ़ सुन कर हस्ताक्षर किया गया जो सही एवं सत्य है।

N.K. Gupta

दिनांक / /2016 — **हस्ता0सत्यापनकर्ता**